झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 58 वर्ष 2022

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री तेजु साव,
ग्रा०- जमुने, पो०-रजवाडीह,
डाल्टनगंज, पलामू - 822118.

DISPOSED

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, पलामू ।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद-58/2022

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	श्री तेजु साव, ग्राम–जमुने, पो0–रजवाडीह, डाल्टनगंज, पलामू का परिवाद पत्र आयोग के पलामू जिला भ्रमण के दौरान दिनांक–20.07.2022 को आयोजित जन सुनवाई में प्राप्त हुआ। परिवादी द्वारा जमुने ग्राम में PDS डीलर द्वारा अयोग्य व्यक्तियों का अंत्योदय कार्ड व फर्जी कार्ड बनाकर राशन गबन किये जाने तथा माह जनवरी एवं अप्रैल 2022 का राशन डीलर द्वारा वितरण नहीं किये जाने का उल्लेख किया गया है। यह भी कि परिवादी द्वारा उपायुक्त एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को भी इसकी सूचना दी गई थी किन्तु इसपर कार्रवाई नहीं हुई है। प्रस्तुत मामले को गंभीरता से लेते हुए आयोग द्वारा इसपर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। उक्त मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू एवं पणन पदाधिकारी, डाल्टेनगंज को प्रतिवादी बनाते हुए इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–08.09.2022 को निर्धारित की जाती है। उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–08-09-2022 को रखें। Sd/- 16.8.22 **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- 16/08/2022 **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

वाद-58/2022

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
08.09.2022	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, डाल्टनगंज उपस्थित। आज की सुनवाई डिजिटल माध्यम से की गई। सुनवाई के दौरान प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू माननीय मंत्री द्वारा आहूत बैठक में भाग लेने के कारण उपस्थित नहीं हो पाये। सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता का कहना है कि उन्हें एवं अन्य कार्डधारियों को माह जनवरी का राशन अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया है। जबकि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि अपीलकर्ता की उपस्थिति में ही तथ्यों की जाँच की गई, जिसमें पाया गया कि माह जनवरी का राशन उपलब्ध करा दिया गया है। ऐसे में आयोग प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे शपथ–पत्र के माध्यम से यह जानकारी दें कि पूरे मामले की जाँच की गई एवं माह जनवरी का राशन अपीलकर्ता एवं अन्य कार्डधारियों को उपलब्ध करा दिया गया है। शपथ–पत्र में यदि गलत प्रमाण का उल्लेख हुआ, तो प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी के विरूद्ध गलत शपथ–पत्र दायर करने के लिये कार्रवाई की जायेगी। इस आशय के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyauf\Vinod Sir\Commission order.docx26	आदेश कार्रवाई संचिका सं. -रा०खा०आ० (वि०) पलामू/PDS-02/2022 में की गयी है।